


आज्ञा से
रीडर

19.9.23

पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं।
न्यायालय द्वारा रुक-रुक कर तीन बार आवाज लगाई
गई बावजूद इसके उपस्थित नहीं हुए। वादी पूर्व में भी अनुपस्थित
अंकित हैं। जिससे स्पष्ट जाहिर आयेगा है कि वादी
अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं हैं।

अतः वादी का वाद आदेश 9 नियम 8 के तहत न्याय
हानरी- अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय सरे
इजलास सुनाया गया।

प्रकरण फैसल शुमार शेकर नम्बर से कम है।


प्रतिभा वर्मा
IAS